न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग-2073-PBN-16

निगरानी प्र.क्र...../2016

श्री दिवाकर दीक्षित एड.
द्वारा आज दि 27-6-16 को
प्रस्तुत
27-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित एड.
27-6-16

1. भवानीसिंह पिता चन्दरसिंह उम्र 29 वर्ष जाति राजपुत निवासी 70, प्रतापनगर देवास जिला देवास म.प्र.
2. श्री प्रेमसिंह पिता बल्देवसिंह उम्र 62 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम सादीखेडा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. राधेश्याम पिता बल्देवसिंह उम्र 54 वर्ष जाति काछी धंधा कास्तकारी निवासी ग्राम सादीखेडा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. दिवानसिंह पिता बल्देवसिंह उम्र 37 वर्ष जाति काछी धंधा कास्तकारी निवासी ग्राम सादीखेडा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
3. रम्भाबाई पिता बल्देवसिंह उम्र 84 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम सादीखेडा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
4. सावत्राबाई पिता बल्देवसिंह पति मेहरबानसिंह उम्र 62 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम गन्धर्वपुरी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

निर्देश

5. कान्तीबाई पिता बल्देवसिंह पति मानसिंह उम्र 55 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम धुतेश्वर तहसील टोंकखुर्द जिला देवास
6. सामनबाई पिता बल्देवसिंह पति सूरजसिंह उम्र 50 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम चौबारा धीरा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.
7. भलूबाई पिता बल्देवसिंह पति हरिसिंह उम्र 54 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम चौबाराधीरा तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.
8. संतोषबाई पिता बल्देवसिंह पति कैलाशसिंह उम्र 42 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम काछीगुराडिया तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अधीन (अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 28 अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 एंव 21.06.2016 के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2073–पीबीआर/2016 **जिला देवास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश 23–5–16 व 21–6–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । दिनांक 23–5–2016 की आदेशिका से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर यथास्थिति कायम की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, कारण यथास्थिति कायम होने से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित नहीं होते हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशिका दिनांक 21–6–16 से सीमांकन कार्यवाही स्थगित की गई है जिसमें भी प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय बिना बटवारा कराये किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन होता है तो निश्चित रूप से सहखातेदारों के हित प्रभावित होंगे । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	